(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 796—तीन/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—06—2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 65/अपील/2003—04

.....

रंगनाथ ब्रा0 तनय श्री बल्देवाचार्य ब्रा0
निवासी—ग्राम छींदा तहसील नागौद
जिला—सतना, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

ददोल प्रसाद ब्रा0 तनय श्री भैयालाल ब्रा0
निवासी—ग्राम बम्हौर तहसील नागौद
जिला—सतना, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 21/12/16 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—11—2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसीलदार नागौद के न्यायालय में अनावेदक आम जनता द्वारा एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया कि आराजी नं0 154 हो सार्वजनिक भूमि है,

एवं जिस पर धर्मशाला निर्मित होना था, उस भूमि पर आवेदक रंगनाथ पिता बल्देवाचार्य अपना मकान निर्माण कराकर जमीन पाना चाहता है। अतः निमार्ण कार्य को रूकवाया जाकर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा हटवाया जाये। नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.10.02 से उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील आम जनता द्वारा ददोल प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, नागौद के न्यायालय में की गई, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 17.06.03 को निराधार पाते हुये निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, नागौद के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 65/अपील/2003–04 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 11.06.2009 से अपील स्वीकार की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी व तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित कर दिया। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में केवल पटवारी प्रतिवेदन व पंचनामा को आधार माना है और आलोच्य आदेश दिनांक 11.06.09 को पारित किया है। आवेदक का मकान 30–35 वर्ष पूर्व से रिहायसी पक्का मकान आराजी नं0 154/2, 52/0.021 के जुज अंश में बना है तथा खसरे के कॉलम नं0 12 कैफियत में पक्का मकान अंकित है हल्का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि कोई भी धर्मशाला मौके पर नहीं है। उत्तरवादी/गैरनिगराकार अपने स्वार्थवश एवं राजनीतिक विद्वेश वश आवेदक को परेशान करने की नियत से बिना आम जनता की सहमति से आम जनता के प्रतिनिधि बनकर आवेदक को परेशान करते है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ दोयम न्यायालयों के तहसील न्यायालय नागौद एवं अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने उचित आदेश पारित किया था, जिन दोयम प्रकरणों को निरस्त करने में अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने भूल की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आराजी नं0 152 एवं आराजी नं0 154 मौजा बम्हौर तहसील नागौद जिला–सतना के लिये भूमिस्वामित्व की भूमि नक्शा तरमीम एवं सीमांकन बावत आवेदन पत्र आवेदक ने समक्ष तहसीलदार तहसील नागौद, जिला–सतना के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका प्ररकण क्र0 1/अ–12/1999–2000 है, जिस प्रकरण में दिनांक 18.11.99 को आदेश पारित हुआ है, जिस

प्रकरण में आर.आई.वृत्त नागौद ने दिनांक 12.11.99 को प्रतिवेदन नक्शा तरमीम का नजरी नक्शा मौके का सूचना–पत्र एवं पंचनाम संलग्न है जो आदेश अंतिम हो गया, जिसकी कोई निगरानी हुई। आराजी नं0 152/2 के जुज भाग में उत्तरवादी ने बाउन्ड्री आल आवेदक के भूमिस्वामित्व में अतिक्रमण किया । जब आवेदक द्वारा अतिक्रमणित भूमि के कब्जा वापसी बावत आवेदन किया गया तो आवेदन कर दिया कि म0प्र0 शासन की भूमि हड़पन के नीयत बताई। जिससे प्रकरण उलझा रहे और निकट भविष्य में समझौता हो तो आवेदक की भूमि में जो बेजा कब्जा हो वह भूमि अनावेक को मिल जाये। इस ओछी मानसिकता की बजह से आवेदन पत्र दिया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ दोयम अधीनस्थ न्यायालयों ने विचारोपरांत मौके से आदेश पारित किया गया था, जिस पर विचार न करते हुये अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा ने आदेश पारित किया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक के अधिक्ता ने अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया। पटवारी के प्रतिवेदन तथा संलग्न पंचनामा से स्पष्ट है कि उसके द्वारा कोई नापजोख की कार्यवाही नहीं की गई, केवल कुछ व्यक्तियों से पूँछताछ की गई, जिस पर भी अनावेदक द्वारा आपत्ति की गई थी। पटवारी के कथन प्रतिपरीक्षण भी नहीं कराये गये है। पटवारी ने लिखा है कि " मौके पर जाकर पंचों से जानकारी ली गई कि यह मकान किसका है, कहा धर्मशाला है? पंचों के पंचनाम मुताबिक यह पक्का मकान आवेदक रंगनाथ साकिन छींदा के नाम पर है।" इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा शासकीय भूमि के संबंध में सीमांकन आदि की विधिवत जांच नहीं की गई, जबकि आवेदक के द्वारा दिनांक 03.02.2002 को पटवारी रिपोर्ट पर आपत्ति के जवाब में कहा है कि पटवारी हल्का बचवई द्वारा मौके में उपस्थित होकर नाप कर प्रतिवेदन व पंचनामा बनाया है। इसी प्रकार पाया जाता है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, केवल विचारण न्यायालय ने पटवारी प्रतिवेदन व पंचनामा को आधार मानकार आदेश पारित किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी, नागौद ने यथावत रखा है किन्तु अपर आयुक्त रीवा ने तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया

है तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे उभयपक्ष की उपस्थिति में स्वयं स्थल पर अपने समक्ष जांच कर एवं उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत आदेश पारित करें। मेरे मतानुसार अपर आयुक्त रीवा ने जो आदेश पारित किया, उचित है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2009 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर